

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर परिषद, शाहपुर पटोरी

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2026-27

(Tender) (ई-टेंडरिंग द्वारा <https://eproc2.bihar.gov.in>)

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, शाहपुर पटोरी।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक-09.07.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक-24.07.2026 से 30.07.2026
(on website <https://eproc2.bihar.gov.in>)
4. प्री बीड मीटिंग का समय स्थान/तिथि : दिनांक-25.07.2026 समय 11:00 बजे स्थान- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद शाहपुर पटोरी का कार्यालय
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक- 30.07.2026 के 15:00 बजे तक
(on website <https://eproc2.bihar.gov.in>)
6. तकनीकी/वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक-31.07.2026 के 15:30 बजे के बाद
(on website <https://eproc2.bihar.gov.in>)
7. निविदा हेतु अग्रधन (केवल बैंक गारंटी), सभी शपथ-पत्र (मूल में), एवं Existing Commitment (मूल में), जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान : पथ निर्माण विभाग के पत्रांक - 71 नियम 01.02.2024 कार्यालय आदेश -07 दिनांक - 10.01.2024 के आलोक में कागजात (मूल में) एकरारनामा पूर्व जमा करना आवश्यक होगा।

8. कार्य का विवरण :- 15वें राज्य वित्त/षष्ठम राज्य वित्त/पेसाकर/स्वयं स्रोत

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित/परिमाण विपत्र राशि (रुपये में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिडिंग मौनसून अवधि माह में)
01	नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 1,2,3 में कुल-06 (छः) कुओं का जीवोद्धार कार्य।	535,200:00	10600:00	1250:00	As Per required by Beltron	3माह
02	नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 04,5,6 में कुल-06 (छः) कुओं का जीवोद्धार कार्य।	535,200:00	10600:00	1250:00	As Per required by Beltron	3माह
03	नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 07,9,10 में कुल-06 (छः) कुओं का जीवोद्धार कार्य।	535,200:00	10600:00	1250:00	As Per required by Beltron	3माह
04	नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 11,12,13 में कुल-06 (छः) कुओं का जीवोद्धार कार्य।	535,200:00	10600:00	1250:00	As Per required by Beltron	3माह
05	नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 14,15,16 में कुल-06 (छः) कुओं का जीवोद्धार कार्य।	535,200:00	10600:00	1250:00	As Per required by Beltron	3माह
06	नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 17,18,19 में कुल-06 (छः) कुओं का जीवोद्धार कार्य।	535,200:00	10600:00	1250:00	As Per required by Beltron	3माह
07	नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 20,21,22 में कुल-06 (छः) कुओं का जीवोद्धार कार्य।	535,200:00	10600:00	1250:00	As Per required by Beltron	3माह
08	नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 23,24,25,26 में कुल-08 (आठ) कुओं का जीवोद्धार कार्य।	713600:00	14,133:00	1250:00	As Per required by Beltron	3माह

निविदा की वैधता अवधि

120 दिन

निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा—

- "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS.
- "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal <https://eproc2.bihar.gov.in> before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के हैं निविदा में भाग ले सकने में परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।

दो करोड़ से ऊपर की राशि की निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से की जायेगी।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट <https://eproc2.bihar.gov.in> अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।

ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई-टेंडरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। वह उन्हें <https://eproc2.bihar.gov.in> से डाउनलोड करने/ई-टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क Toll free No. 18005726571, email Id.: eproc2support@bihar.gov.in, working hours: 8:00AM to 7:00 Pm (All Days in Week Except Few Selected state holidays)

स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में निबंधित संवेदकों के पास सभी कार्य विभागों द्वारा आवंटित कार्यों में से Existing Commitment यदि 75 लाख (पचहत्तर) रुपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

संवेदकों को कार्य स्थल, प्राकलन, ववैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण सतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(2) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद किसी संवेदक द्वारा दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि—

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये हैं।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, निविदा के शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधिकारी या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड हैं तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

परिमाण विपत्र का मूल्य

उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) Online Payment Mode, Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS Payment Mode/Challan से, जो पोर्टल के द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा।

(1) अग्रधन

(क) परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अनुमोदित परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 100 से 500 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, राहपुर पटोरी के पदनाम से प्रतिक्षिप्त (Pledged) हो (मूल में) जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में निम्न प्रकार के मौद्रिक साधन (Monetary Instrument) अनुमान्य होंगे—

(i) Offline Mode में केवल बैंक गारंटी (किसी भी अनुमूचित बैंक/राष्ट्रीय बैंक का) ही मान्य होगा, जो मूल प्रति में कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा अथवा अग्रधन की राशि Online Mode में भी जमा की जा सकती है।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूच विभाग द्वारा देय नहीं होगी।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं अटैकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ) G.S.T निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

- (3) चरित्र प्रमाण-पत्र छः माह के अन्दर का होना चाहिए।
- (3) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची (मूल में)।
- (4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में) / (शपथ पत्र मूल में) (अपलोड)
में अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम)
- पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:- सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ
- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचारधीन नहीं है।
- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।
- (ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के संसृाल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।
- (ड) संवेदक के पास (i) मोबाईल मिक्सर मशीन/ मिक्सर मशीन, (ii) नोजल भाईग्रेटर, (iii) सटरिंग प्लेट, (iv) वाटर टैंकर तथा भवन निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्त क्रमांक (i) से (iv) के साथ-साथ एलीमेटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का दिया जाएगा। उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग), (घ) में गलत सूचना का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका (ड) में से कोई अभिलेख असत्य नकली, जाली, पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जाएगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड, संवेदक के निवंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होंगे। चूंकि संवेदक का निवंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD Code के बिहार ठीकेदारी निवंधन नियमावली 2007 के तहत काली सूची (Debarred) तथा निलंबन इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा करने का होगा। यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा तभी वे निविदा डालें।
- (च) बिटुमिनस पथ के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैशमेंट संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM. SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant/Vibratory Roller/Static Roller/Paver Finisher/ Fe loader/Tipper/ आवश्यक है, जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परंतु तत्संबंधी प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ-पत्र कंडिका (ड) के अनुरूप देना अनिवार्य होगा।
- (छ) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहीं से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये हैं तथा वे अब तक अनियोजित हैं से संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरुद्ध अग्रधन की राशि मात्र 1 प्रतिशत ली जायेगी, जसमें बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा। जमानत की शेष 9 प्रतिशत उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।
- (ज) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (<https://eproc2.bihar.gov.in>) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।
- (5) प्रतिशत दर निविदा
- (क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्द में अंकित दरों में विसंगति होने पर शब्द में अंकित दर की मान्यता दी जायेगी।
- (ख) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं०-447(s), दिनांक-16.01.2020-सह पठित ज्ञापांक-448(s), दिनांक-16.01.2020 द्वारा प्रतिषत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त किये जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निवेदित दर की न्यूनतम अधीसीमा समाप्त किया है। असाधारण असंतुलित दर (Serious Unbalanced Rate) उद्धृत करने पर प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना सं०-447(s), दिनांक-16.01.2020-सह पठित ज्ञापांक-448(s), दिनांक-16.01.2020 के अनुसार एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance Guarantee (Additional Performance Guarantee) देना होगा।
20. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
21. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
22. निविदा निष्पादन
- (1) यदि निविदा की कंडिका संख्या-19 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
- (2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।
- (3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर सामान्य होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
23. एकरारनामा
- (क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र SBD/F2 (कंडिका-23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- (ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।
- (ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।
24. अन्य शर्तें
- (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- (ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ग) कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

(घ) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।
पूर्ण रूप से कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता पूर्ण रूप से कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कड़िकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कड़िकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद शाहपुर पटोरी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

28. In the unlikely event of the server for <https://eproc2.bihar.gov.in> being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
29. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.
30. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
31. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
32. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
33. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
34. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (<https://eproc2.bihar.gov.in>) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
35. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.
36. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्य हेतु—
(a) पथ निर्माण विभाग के प्र0-6/नियम-03-03/2001-1399(s) दिनांक-31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
(b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।
(c) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।

ह0 / -

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, शाहपुर पटोरी।

ज्ञापांक 520 / दिनांक 07/07/2026

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित करने हेतु समर्पित।
विशेष जानकारी के लिए <https://eproc2.bihar.gov.in> पर देखा जा सकता है।

07/07/2026

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, शाहपुर पटोरी।